300

20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2018 जिला–शहडोल

निगरानी - 2731/2018/शहडोल भू.रा.

अर्चना श्रीवास्तव पुत्री आर.एस. श्रीवास्तव निवासी– स्टेडियम के पास शहडोल तहसील सोहागपुर जिला – शहडोल (म.प्र.)

–– आवेदिका

विरूद्ध

1 मोहम्मद मुकरान खांन पिता स्व. सुभान खांन
2 नजीरूननिशा पिता स्व. सुभान खांन
3 मोहम्मद एसान खांन पिता स्व. सुभान खांन
4 बकीलुननिशा पिता स्व. सुभान खांन
5 अब्दुल हन्नान खां पिता स्व. सुभान खांन
6 असमा बेगम पिता स्व. सुभान खांन

निवासीगण–वार्ड नं. 3 सोहागपुर तहसील सोहागपुर जिला – शहडोल (म.प्र.)

–– अनावेदकगण

श्री ... चतुर्वेदी अधि. द्वारा आज दि. 04.5.18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 23.5.18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 4-5-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर जिला शहडोल द्वारा प्रकरण क्रमांक 99/2016–17 अपील में पारित आदेश दिनांक 02.01. 2018 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

04/05/18

माननीय महोदय,

आवेदिका की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1 यहकि, आराजी खसरा क्रमांक 103 जूज रकवा 0.13 एकड़ स्थित ग्राम शहडोल की भूमि अनावेदकगण के पिता सुभान खांन के स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि थी। जिसका विधिवत् विक्रय पत्र सुभान खांन द्वारा आवेदक के हित में सम्पादित कराया गया उक्त वयनामा अपंजीकृत था किन्तु तहसीलदार सोहागपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 32/अ–6/03–04 से आदेश दिनांक 30.07.2005 द्वारा नामान्तरण इस आधार पर स्वीकार किया गया कि अपंजीकृत वयनामे को पंजीकृत कराये जाने एवं स्टाम्फ शुल्क जमा कराये

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक- निग.-2731/2018/शहडोल/भू.रा.

अर्चना श्रीवास्तव विरूद्ध मोहम्मद मुकरान आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक अभिभाषक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर, जिला-शहडोल के प्रकरण क्रमांक 99/2016-17/अपील में पारित आदेश दिनांक 02-01-2018 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 04-05-2018 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवतत होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी, जिला-शहडोल के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर शहडोल के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

11/01/19

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण क़लेक्टर शहडोल को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 27-02-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेक्टर शहडोल के न्यायालय में प्रस्तुत हो।

6. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर शहडोल के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

11.01.19

(आर.के. जैन)

सदस्य